The Infinite
An International Peer Reviewed / Refereed Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 7 | July 2025
ISSN: 3048-9539 (Online)
Website: www.theinfinite.co.in

भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रति सामाजिक, विधिक एवं न्यायिक संवेदनशीलता : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

छोटेलाल

शोधार्थी, विधि संकाय,

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

प्रो० (डॉ०) हरीश चंद्र राम

विधि संकाय,

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

ARTICLE DETAILS

Research Paper

मुख्य बिंदु– ***महिलाओं के विरुद्ध अपराध, विधिक प्रावधान, न्यायिक संवेदनशीलता, सामाजिक जागरूकता, लैंगिक न्याय।***

सारांश

भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की बढ़ती घटनाएं आज के सामाजिक परिदृश्य में एक गम्भीर और चिंताजनक विषय बन चुकी हैं। चाहे बात यौन उत्पीड़न की हो, घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, बालिका भ्रूण हत्या, मानव तस्करी, तेज़ाब हमले या साइबर अपराधों कीकृइन सभी का विस्तार न केवल शहरी क्षेत्रों में हो रहा है, बल्कि अब ये अपराध ग्रामीण और दूर–दराज़ के इलाकों तक भी पहुँच चुके हैं। ये घटनाएं भारतीय समाज की मूलभूत नैतिकता, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और पारिवारिक संरचना पर प्रत्यक्ष आघात करती हैं। वर्तमान में भारत का विधिक ढांचा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु पर्याप्त प्रतीत होता हैकृसंविधान में समानता का अधिकार, व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा, और राज्य की कल्याणकारी भूमिका को स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है। इसके साथ ही दंड कानूनों में समय–समय पर आवश्यक संशोधन किए गए हैं, जैसे निर्भया कांड के बाद आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 और हाल ही में लागू भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023। इसके अतिरिक्त, न्यायपालिका ने कई ऐतिहासिक निर्णयों द्वारा महिलाओं की गरिमा और स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान किया है।

किन्तु, इन सभी विधिक और न्यायिक प्रयासों के बावजूद, महिलाओं की वास्तविक स्थिति में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं देता, और उनका सुरक्षित वातावरण में जीना आज भी एक चुनौती बना हुआ है। इसका कारण केवल विधिक व्यवस्था की कमियाँ नहीं, बल्कि सामाजिक सोच, पारंपरिक मान्यताएँ और पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण भी हैं, जो अपराधों के खिलाफ प्रभावी सामाजिक प्रतिक्रिया को रोकते हैं।

यह शोधपत्र इसी जटिल वास्तविकता को उजागर करता है और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की प्रकृति, उनके सामाजिक–सांस्कृतिक कारणों, मौजूदा विधिक प्रावधानों की प्रभावशीलता, न्यायिक दृष्टिकोण की संवेदनशीलता, तथा समाज में जागरूकता के स्तर का गहराई से विश्लेषण करता है। इसका उद्देश्य केवल समस्या को चिन्हित करना नहीं है, बल्कि उसके समाधान की दिशा में एक बहुआयामी, सुदृढ़ और संवेदनशील दृष्टिकोण प्रस्तुत करना भी है, ताकि महिला सुरक्षा के मार्ग में बाधाओं को दूर किया जा सके और एक न्यायपूर्ण, समानता पर आधारित समाज की स्थापना की जा सके।

1. भूमिका

भारतीय समाज ऐतिहासिक रूप से एक पितृसत्तात्मक संरचना पर आधारित रहा है, जहाँ महिलाओं की भूमिका को प्रायः गृहस्थ जीवन, पालन–पोषण और पुरुषों की अधीनता तक सीमित किया गया। परंपरागत मान्यताओं, सामाजिक रीति–रिवाज़ों और धार्मिक व्याख्याओं ने महिलाओं को द्वितीयक दर्जे में रखकर उनकी स्वतंत्रता, गरिमा और निर्णय लेने की क्षमता को सीमित किया। यद्यपि भारत का संविधान महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता, गरिमा और भेदभाव से मुक्ति जैसे मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, परंतु वास्तविकता यह है कि इन अधिकारों का पूर्णतः लाभ आज भी समाज की बड़ी संख्या में महिलाओं को नहीं मिल पाया है।

समाज के व्यवहारिक ढाँचे में व्याप्त लैंगिक असमानता आज भी गहराई से जमी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाएं विभिन्न प्रकार की हिंसा और शोषण का निरंतर सामना कर रही हैं। दहेज हत्या, जहाँ विवाह के बाद स्त्रियों को वित्तीय और भौतिक अपेक्षाओं की बलि चढ़ाया जाता है; यौन उत्पीड़न, जो कार्यस्थलों से लेकर सार्वजनिक परिवेश तक फैला है; बलात्कार, जो केवल एक शारीरिक अपराध नहीं बल्कि महिला की आत्मा पर आघात है; मानव तस्करी, जिसमें महिलाएं वस्तु की तरह खरीदी और बेची जाती हैं; और घरेलू हिंसा, जो घर जैसे सुरक्षित स्थान को भी भय का केंद्र बना देती हैकृये सभी अपराध न केवल विधिक चिंता का विषय हैं, बल्कि सामाजिक विफलता का भी प्रतीक हैं।

इन गंभीर चुनौतियों का समाधान केवल कानून बनाने भर से संभव नहीं है। आवश्यकता है कि हम इन अपराधों के कारणों, स्वरूप, प्रभावों और उपचारात्मक उपायों का गहराई से अध्ययन करें। यह अध्ययन केवल विधिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक मूल्यों, प्रशासनिक इच्छाशक्ति और न्यायिक सक्रियता के परिप्रेक्ष्य में भी किया जाना चाहिए। जब तक हम महिला विरोधी मानसिकता, पितृसत्ता आधारित सोच, तथा सामाजिक चुप्पी को नहीं तोड़ेंगे, तब तक महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों की जड़ें बनी रहेंगी।

इस पृष्ठभूमि में प्रस्तुत यह शोधपत्र भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति, उनके विरुद्ध हो रहे अपराधों की प्रकृति, उनसे संबंधित विधिक और न्यायिक प्रावधानों, तथा सामाजिक जागरूकता के स्तर का एक समग्र विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य केवल समस्याओं की पहचान करना नहीं, बल्कि एक संवेदनशील, प्रभावी और व्यावहारिक समाधान की ओर मार्ग प्रशस्त करना भी है, जिससे महिलाएं न केवल सुरक्षित, बल्कि सशक्त और सम्मानित जीवन जी सकें।

2. शोध उद्देश्यः

- महिलाओं के विरुद्ध होने वाले प्रमुख अपराधों की पहचान करना
- इन अपराधों के प्रति समाज की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन
- विधिक एवं न्यायिक प्रावधानों की प्रभावशीलता का परीक्षण
- समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना

3. महिलाओं के विरुद्ध प्रमुख अपराधः

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित विभिन्न विधिक प्रावधानों को पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता, 1860 से प्रतिस्थापित कर अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत सुव्यवस्थित किया गया है। इन नए प्रावधानों ने महिलाओं की गरिमा, स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा हेतु अधिक स्पष्ट और कठोर कानूनी ढांचा उपलब्ध कराया है।

बलात्कार, जो पूर्व में भारतीय दंड संहिता की धारा 375 एवं 376 के अंतर्गत परिभाषित था, अब भारतीय न्याय संहिता में धारा 63 के अंतर्गत विस्तृत रूप से वर्णित है। इसके अतिरिक्त, सामूहिक बलात्कार की स्थिति में धारा 70 तथा 16 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ बलात्कार के मामलों में धारा 65 के अंतर्गत कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। यह परिवर्तन अपराध की गंभीरता और पीड़िता की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में एक सशक्त कदम है।

दहेज हत्या, जो पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 304ठ के अंतर्गत थी, अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 में समाहित की गई है। यह धारा विवाह के कुछ वर्षों के भीतर महिला की अप्राकृतिक मृत्यु या आत्महत्या की स्थिति में, दहेज उत्पीड़न के कारण पति या ससुराल वालों की जिम्मेदारी निर्धारित करती है।

घरेलू हिंसा के मामलों में यद्यपि अभी भी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 एक स्वतंत्र विधिक तंत्र के रूप में अस्तित्व में है, किंतु यदि किसी महिला के साथ उसके पति या ससुराल वालों द्वारा शारीरिक या मानसिक क्रूरता की जाती है, तो उसे अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को मुख्य रूप से यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत देखा जाता है, जो एक विशेष अधिनियम है। फिर भी भारतीय न्याय संहिता में इससे संबंधित अपराधों को परिभाषित करते हुए धारा 75 में यौन उत्पीड़न और धारा 78 में पीछा करना ̆(जंसापदह) जैसे कृत्यों को स्पष्ट किया गया है।

मानव तस्करी, जो पूर्व में भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के अंतर्गत वर्णित थी, अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 143 में समाहित की गई है। यह प्रावधान विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की खरीद–फरोख्त, बंधुआ मजदूरी, यौन शोषण आदि के मामलों में लागू होता है।

इसी प्रकार, तेज़ाब हमला को अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 124 में निर्दिष्ट किया गया है, जिसमें न केवल तेज़ाब फेंकने वाले के लिए कठोर दंड का प्रावधान है, बल्कि पीड़िता के लिए विशेष पुनर्वास और मुआवज़े की व्यवस्था भी की गई है। पीछा करना या बार–बार अनचाहा संपर्क करना, जो पहले एक अस्पष्ट अपराध था, अब धारा 78 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से दंडनीय है। साइबर अपराध, विशेषकर जब वे यौन प्रकृति के हों, जैसे कि अश्लील सामग्री का प्रसार, छेड़छाड़, निजी तस्वीरों का दुरुपयोग अन्य तकनीकी और डिजिटल अपराधों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधान अब भी प्रभावी हैं।

इस प्रकार, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित अपराधों को अधिक स्पष्ट, संवेदनशील और कठोर दंडात्मक स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है, जो वर्तमान सामाजिक एवं तकनीकी संदर्भों में महिला सुरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति करता है।

4. विधिक संवेदनशीलताः

भारत सरकार ने महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपराधिक कानूनों में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। 1 जुलाई 2025 से भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita – BNSS) को लागू किया गया है, जिन्होंने पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता (IPC) और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) का स्थान लिया है। इन नए विधिक प्रावधानों में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को और अधिक गंभीरता से लिया गया है तथा दंडात्मक और प्रक्रिया संबंधी प्रावधानों को और अधिक सशक्त बनाया गया है।

बलात्कार को अब ठछै की धारा 63 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जो पीड़िता की सहमति, मानसिक स्थिति, और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यापक रूप से व्याख्यायित है। सामूहिक बलात्कार की स्थिति में धारा 64 के अंतर्गत कठोरतम दंड का प्रावधान है। यदि पीड़िता 16 वर्ष से कम उम्र की बालिका है, तो धारा 65 के अंतर्गत अपराधी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक दिया जा सकता है।

महिलाओं का पीछा करना या स्टॉकिंग, जो पहले एक सामान्य अपराध माना जाता था, अब धारा 78 के अंतर्गत एक संगीन अपराध बन चुका है। इसी प्रकार, तेज़ाब फेंकना या उसका प्रयास धारा 124 के अंतर्गत कठोर दंडनीय अपराध है। कार्यस्थल पर महिला के साथ अनुचित यौन व्यवहार को धारा 79 में समाहित किया गया है। इसके अतिरिक्त, झूठे विवाह के वादे पर शारीरिक संबंध बनाना, जिसे पूर्व में धोखाधड़ी के अंतर्गत देखा जाता था, अब धारा 69 के तहत एक स्वतंत्र यौन अपराध माना गया है।

दहेज मृत्यु को रोकने हेतु ठछै की धारा 80 लागू की गई है, जिसमें पति या ससुराल पक्ष द्वारा की गई मृत्यु पर कठोर दंड का प्रावधान है। पति या ससुराल वालों द्वारा मानसिक या शारीरिक क्रूरता को धारा 85 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिससे घरेलू हिंसा को दंडित किया जा सके।

प्रक्रिया संबंधी दृष्टिकोण से, ठछै, 2023 ने पीड़िता की गरिमा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। उदाहरण स्वरूप, बलात्कार की पीड़िता की चिकित्सकीय जांच के लिए अब धारा 184 लागू होती है (जो पहले ब्तच्ब की धारा 164। थी)। पीड़िता का गोपनीय बयान धारा 183 के अंतर्गत दर्ज किया जाता है ताकि उसकी निजता सुरक्षित रह सके। साथ ही, पीड़िता से पूछताछ या जांच केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही धारा 176 के अनुसार की जा सकती है। न्याय में शीघ्रता लाने के उद्देश्य से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की व्यवस्था भी की गई है।

इन नए कानूनी प्रावधानों से स्पष्ट है कि विधायिका ने न केवल अपराधों की परिभाषा को स्पष्ट किया है, बल्कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को लेकर दंड प्रक्रिया को अधिक पीड़ित—संवेदनशील, वैज्ञानिक एवं न्यायोचित बनाने का प्रयास किया है।

5. न्यायिक संवेदनशीलताः

भारतीय न्यायपालिका ने समय—समय पर ऐसे कई ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं, जिनसे महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और समानता के अधिकारों को सुदृढ़ आधार प्राप्त हुआ है। इन निर्णयों ने न केवल विधिक सिद्धांतों को परिभाषित किया, बल्कि सामाजिक चेतना को भी जागृत करने का कार्य किया। विशेष रूप से विशाका तथ्य बनाम भारत संघ (Vishaka v- State of Rajasthan, 1997) का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए। यह निर्णय उस समय आया जब

भारत में इस विषय पर कोई स्पष्ट कानून नहीं था, और इसने बाद में 2013 में "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम" की नींव रखी।

इसी प्रकार, मिट्ठु सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक बलात्कार जैसे संवेदनशील विषय को न्यायिक विमर्श में शामिल किया। यद्यपि भारत में अभी तक वैवाहिक बलात्कार को विधिक रूप से स्पष्ट अपराध नहीं माना गया है, किंतु इस निर्णय के माध्यम से न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि विवाह स्त्री की स्वायत्तता का अपहरण नहीं करता, और उसकी इच्छा को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ (2018) में न्यायालय ने 'ऑनर किलिंग' जैसी अमानवीय प्रथा पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि व्यक्तिगत पसंद से विवाह करना संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है, और यदि कोई व्यक्ति या पंचायत उस अधिकार का उल्लंघन करती है, तो वह कठोर दंड की भागी होगी। यह निर्णय न केवल विधिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत प्रगतिशील माना गया।

दिल्ली गैंगरेप कांड (निर्भया मामला, 2012) ने पूरे देश को झकझोर दिया, और न्यायपालिका ने इस मामले में तीव्रता से कार्य करते हुए दोषियों को शीघ्र दंडित किया। इस निर्णय ने न्यायपालिका की सक्रियता और बलात्कार जैसे अपराधों पर कठोर रुख को उजागर किया। इसके पश्चात आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन किए गए और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई कानूनी प्रावधानों को सुदृढ़ किया गया।

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने विभिन्न मामलों में स्वतः संज्ञान (suo motu cognizance) लेते हुए भी महिलाओं को राहत प्रदान की है, जैसेकृनिर्भया कांड के बाद दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा उपायों पर स्वतः संज्ञान लेना। इस प्रकार, भारतीय न्यायपालिका ने न केवल कानूनी व्याख्या के स्तर पर, बल्कि मानवाधिकारों के संरक्षक के रूप में भी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

6. सामाजिक दृष्टिकोण एवं संवेदनशीलताः

यद्यपि भारत में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए विधिक और न्यायिक स्तर पर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं, तथापि सामाजिक मानसिकता में अपेक्षित परिवर्तन की गति अत्यंत धीमी है। आज भी अधिकांश महिलाएं अपराधों की शिकार होने के बावजूद पुलिस या अन्य प्राधिकरणों को सूचना देने से हिचकिचाती हैं। इसके पीछे प्रमुख कारणों में सामाजिक बदनामी का भय, पुलिस प्रक्रिया से अनभिज्ञता, और न्यायिक प्रक्रिया की लंबी एवं जटिल प्रकृति शामिल हैं। विशेष रूप से यौन उत्पीड़न या बलात्कार जैसे मामलों में पीड़िता को ही संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, जिससे वह दोहरी पीड़ा झेलती हैकृएक बार अपराध के रूप में और दूसरी बार समाज के दृष्टिकोण के रूप में।

भारतीय समाज में गहराई से जड़ें जमाए पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के कारण महिलाओं को दोषी ठहराने या उनकी स्वतंत्रता को सीमित करने की प्रवृत्ति व्यापक है। समाज आज भी पुरुष की गलती को क्षम्य मानकर महिला के चरित्र

को कठघरे में खड़ा करता है। यही कारण है कि अधिकांश पीड़िताएं न्याय की अपेक्षा 'चुप रहकर सह लेने' को ही सुरक्षित विकल्प मानती हैं। इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक संस्थानों, पंचायतों, धार्मिक मंचों और मीडिया जैसे सामाजिक संस्थानों की भूमिका में भी जागरूकता और लैंगिक संवेदनशीलता की कमी है, जिससे समाज में व्यापक स्तर पर बदलाव नहीं आ पा रहा है।

स्पष्ट है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध केवल विधिक अथवा न्यायिक चुनौती नहीं हैं, बल्कि यह सामाजिक चेतना, नैतिक मूल्यों और दृष्टिकोण की भी परीक्षा है। जब तक समाज अपराधी को बहिष्कृत करने की बजाय पीड़िता को ही कलंक का भागीदार बनाता रहेगा, तब तक किसी भी विधिक सुधार का वास्तविक प्रभाव नहीं दिखेगा। अतः यह अनिवार्य है कि कानूनों के साथ–साथ समाज में मानसिक बदलाव लाने के लिए शिक्षा, जागरूकता और संवाद के स्तर पर संगठित प्रयास किए जाएं।

7. चुनौतियाँः

भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की बढ़ती घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में यह समझना आवश्यक है कि केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली वास्तविक चुनौतियों को भी समझना और दूर करना आवश्यक है। इन चुनौतियों में सबसे पहली और महत्वपूर्ण समस्या है विधिक ज्ञान की कमी। देश के अधिकांश नागरिक, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं, अपने अधिकारों, उपलब्ध विधिक प्रावधानों और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया से अनभिज्ञ रहती हैं। नतीजतन, वे उत्पीड़न का शिकार होने के बावजूद चुप रहना पसंद करती हैं।

इसके अतिरिक्त, पुलिस की संवेदनहीनता एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आती है। कई बार थानों में महिलाओं की शिकायतों को प्राथमिकता नहीं दी जाती या उन्हें हतोत्साहित किया जाता है। पीड़िता से असंवेदनशील व्यवहार, अपमानजनक प्रश्न पूछना या उसकी बात पर संदेह करनाकृये सब चीज़ें उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को और कमजोर कर देती हैं, जिससे वह न्याय की दिशा में आगे कदम नहीं बढ़ा पाती।

न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता और विलंब भी एक बड़ी बाधा है। अदालतों में मुकदमे वर्षों तक लंबित रहते हैं, जिससे पीड़िता को बार–बार मानसिक, आर्थिक और सामाजिक यातना सहनी पड़ती है। इस लंबे अंतराल में अक्सर पीड़िता थक हारकर पीछे हट जाती है या समाज के दबाव में समझौता कर लेती है।

गवाहों पर दबाव और धमकी भी न्याय प्राप्ति में एक बड़ी चुनौती है। कई मामलों में आरोपी प्रभावशाली होते हैं और वे गवाहों को डराने–धमकाने, या उन्हें अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास करते हैं। जब गवाह अपने बयान से मुकर जाते हैं, तब मामला कमजोर हो जाता है और न्याय नहीं मिल पाता।

अंततः, समाज में समझौता आधारित हल की प्रवृत्ति भी गंभीर चिंता का विषय है। अपराधी को सज़ा दिलाने की बजाय, परिवार और समाज के स्तर पर मामला रफा–दफा करने की कोशिश की जाती है। विशेषकर जब मामला विवाह,

रिश्तेदारी या सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है, तब 'इज्ज़त' के नाम पर पीड़िता को ही चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता है।

इस प्रकार, जब तक इन चुनौतियों से प्रभावी रूप से नहीं निपटा जाएगा, तब तक महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए कानून और न्यायिक उपाय पूर्णतया प्रभावी नहीं हो सकेंगे। इसके लिए प्रशासन, पुलिस, न्यायपालिका और समाजकृसभी को सामूहिक रूप से जिम्मेदारी निभानी होगी।

8. सुझावः

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम तथा पीड़िताओं को न्याय दिलाने हेतु केवल कानूनी ढांचा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इससे जुड़े अन्य संस्थानों और समाज के विभिन्न स्तरों पर भी सक्रिय सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता है। सबसे पहले, देशभर में कानूनी साक्षरता अभियानों को गति दी जानी चाहिए, ताकि महिलाओं को उनके संवैधानिक और विधिक अधिकारों की जानकारी हो सके। जब तक महिलाएं यह नहीं जानेंगी कि उनके साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध वे क्या कर सकती हैं और कहाँ शिकायत कर सकती हैं, तब तक वे अपनी सुरक्षा और सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगी।

इसके अतिरिक्त, पुलिस बल एवं न्यायिक अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जिससे वे महिलाओं से जुड़े अपराधों के प्रति अधिक संवेदनशील, व्यवहारिक और अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपना सकें। कई बार उचित प्रशिक्षण के अभाव में पीड़िता को अपमानजनक या डरावने माहौल से गुजरना पड़ता है, जिससे वह न्याय प्रक्रिया में भाग लेने से कतराने लगती है।

लैंगिक समानता की शिक्षा को प्रारंभिक स्तर, अर्थात् स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। जब बचपन से ही लड़कों और लड़कियों को समानता, सम्मान और सह–अस्तित्व के मूल्य सिखाए जाएंगे, तभी भविष्य में समाज में महिला विरोधी मानसिकता को बदला जा सकेगा।

मीडिया, जो समाज में राय निर्माण का एक शक्तिशाली माध्यम है, को भी जिम्मेदारीपूर्ण भूमिका निभानी होगी। महिलाओं से जुड़े संवेदनशील मामलों की रिपोर्टिंग करते समय मीडिया को सनसनी फैलाने या पीड़िता की पहचान उजागर करने से बचना चाहिए। इसके बजाय, सकारात्मक उदाहरणों, अधिकारों की जानकारी, और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

अंततः, पीड़ित महिलाओं को न्याय, परामर्श, चिकित्सा, और पुनर्वास सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए वन स्टॉप सेंटर (One&Stop Centres) की संख्या और पहुँच को देशभर में प्रभावी रूप से विस्तारित किया जाना चाहिए। इन केंद्रों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु समुचित बजट, प्रशिक्षित स्टाफ और निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

इन सभी उपायों को यदि गंभीरता और समन्वय के साथ लागू किया जाए, तो न केवल महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कमी लाई जा सकती है, बल्कि एक सुरक्षित, न्यायसंगत और समानता—आधारित समाज की स्थापना की दिशा में भी ठोस कदम बढ़ाए जा सकते हैं।

9. निष्कर्षः

भारत में महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा की रक्षा केवल कठोर कानूनों के निर्माण से सुनिश्चित नहीं की जा सकती। यद्यपि विधायिका ने अनेक कड़े प्रावधानों को लागू किया है, लेकिन यदि समाज स्वयं स्त्रियों के प्रति संवेदनशील नहीं होगा और कानूनों का पालन निष्पक्षता व तत्परता से नहीं होगा, तो ये प्रावधान मात्र कागज़ी दस्तावेज़ बनकर रह जाएंगे। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा केवल अपराध नहीं, बल्कि एक सामाजिक सोच की अभिव्यक्ति हैकृजो महिला को पुरुष के अधीन मानती है, उसकी स्वतंत्रता पर संदेह करती है और उसकी गरिमा को बार—बार चुनौती देती है।

इस संदर्भ में, यह अत्यंत आवश्यक है कि समाज के प्रत्येक वर्ग में, विशेषकर पारिवारिक, शैक्षणिक और धार्मिक संस्थानों में लैंगिक संवेदनशीलता और समानता के मूल्यों को गहराई से स्थापित किया जाए। जब तक सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक कानून भी असहाय सिद्ध होंगे। महिला सशक्तिकरण का मार्ग केवल दंडात्मक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, मानसिक और नैतिक परिवर्तन से होकर गुजरता है।

साथ ही, न्यायिक प्रणाली की भूमिका भी निर्णायक है। यदि न्याय समयबद्ध, सुलभ और पीड़िता के अनुकूल नहीं होगा, तो महिलाओं का विश्वास न्याय व्यवस्था पर से उठ जाएगा। पीड़िता को न्याय की आशा केवल तब तक होती है जब तक उसे लगता है कि उसे सुना जाएगा, उसका सम्मान सुरक्षित रहेगा और उसे न्याय शीघ्र मिलेगा। मामलों में अनावश्यक देरी, गवाहों पर दबाव, और तकनीकी जटिलताओं के कारण न्याय मिलने में जो विलंब होता है, वह पीड़िता की पीड़ा को और गहरा कर देता है।

इसलिए, महिलाओं की वास्तविक सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक त्रिस्तरीय रणनीति की आवश्यकता हैकृपहला, समाज को शिक्षित और जागरूक बनाना; दूसरा, विधिक प्रवर्तन को सशक्त, जवाबदेह और निष्पक्ष बनाना; और तीसरा, न्यायपालिका को अधिक सक्रिय, तकनीकी रूप से उन्नत और पीड़ित—केंद्रित बनाना। जब ये तीनों स्तंभकृसमाज, कानून, और न्यायपालिकाकृएक साथ कार्य करेंगे, तभी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन सुनिश्चित किया जा सकता है।

सन्दर्भ

- भारत सरकार। (2023)। भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS)। विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।
- भारत सरकार। (2023)। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)। विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।

- भारत सरकार। (2005)। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005। भारत का राजपत्र।
- भारत सरकार। (2013)। यौन उत्पीड़न (कार्यस्थल पर रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013। भारत का राजपत्र।
- भारतीय दंड संहिता, 1860 (पूर्ववत)। (2022)। भारत में दंडात्मक प्रावधानों का संहिताबद्ध रूप। यूनिवर्सल पब्लिशिंग।
- CrPC – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (पूर्ववत)। (2022)। न्यायिक प्रक्रिया का व्यावहारिक दृष्टिकोण। ईस्टर्न बुक कंपनी।
- विशाका बनाम भारत संघ, AIR 1997 SC 3011A
- मिट्ठु सिंह बनाम पंजाब राज्य, AIR 1983 SC 473A
- शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ, (2018) 7 SCC 192A
- निर्भया बनाम भारत संघ, (2013) 7 SCC 476A
- पांडेय, बी. एन. (2020)। भारतीय महिला एवं विधि। प्रयाग पब्लिकेशन।
- शर्मा, आर. के. (2018)। भारत में महिला सशक्तिकरण और विधिक उपाय। रचना प्रकाशन।
- तिवारी, एस. (2022)। महिलाओं के विरुद्ध अपराधः सामाजिक एवं कानूनी दृष्टिकोण। अवध पब्लिकेशन।
- सिंह, अ. (2023)। भारतीय न्याय प्रणाली और लैंगिक न्याय। दीपक पब्लिकेशन।
- राष्ट्रीय महिला आयोग। (2021)। वार्षिक प्रतिवेदन 2020–21। http:／／ncw-nic-in
- इंडियास्टेट्स। (2023)। भारत में महिला अपराधों पर सांख्यिकीय रिपोर्ट। http:／／www-indiastat-com
- प्रेस सूचना ब्यूरो। (2022)। महिला सुरक्षा के लिए भारत सरकार की प्रमुख योजनाएँ। https:／／pib-gov-in
- पटेल, जी. (2023)। न्यायपालिका और महिला सुरक्षाः एक तुलनात्मक दृष्टिकोण। न्याय संवाद, 12(3), 45-51।
- वर्मा समिति रिपोर्ट। (2013)। महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराधों पर विशेष रिपोर्ट। भारत सरकार।
- चौधरी, पी. (2021)। भारत में ऑनर किलिंगः सामाजिक कलंक और न्यायिक प्रतिक्रियाएं। सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका, 8(2), 33–39।